...यालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा (राज0)

...0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
3 / 2023	28.03.2023	12.01.2024

...ठासीन अधिकारी–विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

1– किशन मीणा आत्मज लक्ष्मीनारायण जी जाति मीणा निवासी करांडिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– लक्ष्मीनारायण आत्मज कालूलाल जी जाति मीणा निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

2– शिवनारायण मीणा आत्मज लक्ष्मीनारायण जी जाति मीणा निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

3– रिना पुत्री लक्ष्मीनारायण जी जाति मीणा निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

4– बद्री पुत्री लक्ष्मीनारायण जी जाति मीणा निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

5– दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–
संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि

1– यह कि ग्राम कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 207 में खसरा नम्बर 313 रकबा 0.90 हे0, खसरा नं0 315 रकबा 0.10 हे0, खसरा नं0 319 रकबा 0.45 हे0, खसरा नं0 319/619 रकबा 0.45 हे0, खसरा नं0 336 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नं0 395 की रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 4/568 रकबा 0.29 हे0, खसरा नं0 516 रकबा 1.48 हेक्टर, खसरा नं0 55 रकबा 0.93 हेक्टर, कुल 9 किता की रकबा 4.82 हेक्टर कृषि भूमियां दर्ज चली आ रही है नकल जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 संलग्न है।

2– यह कि उपरोक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के खाते में दर्ज चली आ रही है उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की पुश्तैनी भूमि है जो प्रतिवादी नं0 1 को उनके पिता से प्राप्त हुई है यानी वादी के दादा जी से प्राप्त हुई है।

3– यह कि प्रतिवादी नं0 1 वादी व प्रतिवादी नं0 2,3, व 4 के पिता है। इस कारण उक्त भूमि में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 2, 3, व 4 का भी बराबर बराबर का हिस्सा बनता है। किन्तु प्रतिवादी नं0 3 व 4 अपना हिस्सा प्राप्त नहीं करना

है। वैसे भी उक्त भूमि को वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 शामलाती रूप से काश्त चले आ रहे है।

यह कि उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 2 की पुश्तैनी भूमि है तथा उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 2 का बराबर– बराबर हिस्सा है उपरोक्त भूमि को वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 काश्त कर अपने व अपने परिवार का गुजर बसर करते चले आ रहे है तथा वादी की आय का एक मात्र साधन है। इस कारण प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 2 को बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 के साथ सहखातेदार अंकित किया जाना आवश्यक है।

5– यह कि वारदी ने उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 2 का नाम अंकित कराने को प्रतिवादी नलं0 1 को दिनांक 13.03.2023 को कहा तो प्रतिवादी नं0 1 ने वादी व प्रतिवादी नं0 2 का नाम अपने साथ दर्ज कराने से मना कर दिया।

6– यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।

7– यह कि वाद कारण प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने से इन्कार करने पर दिनांक 13.03.2023 को पैदा हुआ है।

8– यह कि वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिऐट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण वादी ने वाद में प्रतिवादी नं0 5 राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है ओर बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80(2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

(1) कि ग्राम कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 207 में खसरा नम्बर 313 रकबा 0.90 हे0, खसरा नं0 315 रकबा 0.10 हे0, खसरा नं0 319 रकबा 0.45 हे0, खसरा नं0 319/619 रकबा 0.45 हे0, खसरा नं0 336 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नं0 395 की रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 4/568 रकबा 0.29 हे0, खसरा नं0 516 रकबा 1.48 हेक्टर, खसरा नं0 55 रकबा 0.93 हेक्टर, कुल 9 किता की रकबा 4.82 हेक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 2 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न हैः–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम कराडिया खाता सं0 207 सम्वत 2076–2079

2– नकल आधार कार्ड किशन मीणा

3– नकल आधार कार्ड लक्ष्मीनारायण मीणा

4– नकल आधार कार्ड शिवनारायण मीणा

5– नकल जमाबन्दी खाता सं0 14 ग्राम कराडिया, सम्वत 2068–2071

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से उभय पक्ष के अधिवक्ताओ द्वारा आपसी सहमति से जवाब दावा मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर आदेशिका पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 ने सहमति से

तर किये गये। उभय पक्षकारान की ओर से राजीनामा निम्नानुसार प्रस्तुत किया :—

कि वादी एवं वादीगण की ओर से निम्न राजीनामा पेश किया गया:—

यह कि ग्राम कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 207 में खसरा नम्बर 313 रकबा 0.90 हे0, खसरा नं0 315 रकबा 0.10 हे0, खसरा नं0 319 रकबा 0.45 हे0, खसरा नं0 319/619 रकबा 0.45 हे0, खसरा नं0 336 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नं0 395 की रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 4/568 रकबा 0.29 हे0, खसरा नं0 516 रकबा 1.48 हेक्टर, खसरा नं0 55 रकबा 0.93 हेक्टर, कुल 9 किता की रकबा 4.82 हेक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी नं0 1 के खातेदारी में है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 , प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र है तथा प्रतिवादी नं0 3 व 4 पुत्रियां है। उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 2 को प्रतिवादी नं0 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नं0 3 व 4 अपना कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती है। अपना हिस्सा भाईयों के पक्ष में छोड दिया है। उक्त राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने में वादी एवं प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि वाद में वर्णित भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 को प्रतिवादी नं0 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

प्रकरण को उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा प्रस्तुत करने पर पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। आदेशिका पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी तथा प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी।

अतः उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर प्रस्तुत राजीनामा पर सहमति प्रकट करने एवं दावा डिक्री किये जाने का ओदश पारित किया जाने पर सहमति व्यक्त की है। अतः वादीगण का वाद पत्र प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र, प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सहमति से राजीनामा होने पर स्वीकार किया जाकर ग्राम कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 207 में खसरा नम्बर 313 रकबा 0.90 हे0, खसरा नं0 315 रकबा 0.10 हे0, खसरा नं0 319 रकबा 0.45 हे0, खसरा नं0 319/619 रकबा 0.45 हे0, खसरा नं0 336 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नं0 395 की रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 4/568 रकबा 0.29 हे0, खसरा नं0 516 रकबा 1.48 हेक्टर, खसरा नं0 55 रकबा 0.93 हेक्टर, कुल 9 किता की रकबा 4.82 हेक्टर कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 को प्रतिवादी नं0 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि सहमति से उक्त राजीनाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद